

कार्यालय नगर पालिका परिषद, मोदीनगर (गाजियाबाद)

पत्रांक: 922 / न0पा0परि0 / कर0वि0 / 2019

दिनांक: 04/09/2019

1. श्रीमती सुशीला देवी पत्नी श्री कैन्हया लाल निवासी – ग्राम ठिकौली जिला बुलन्दशहर।

नाम परिवर्तन नोटिस धारा 147(बी)

विषय:-

नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 147(बी) के अंतर्गत के सम्बन्ध में

महोदय

आपको सूचित किया जाता है कि मौहल्ला गोविन्दपुरी म0न0 1/204 का पार्ट (एफ0 19 का पार्ट नया) क0स0 334 पर नगर पालिका परिषद के गृहकर अभिलेखों में श्रीमती सुशीला देवी पत्नी श्री कैन्हया लाल के नाम दर्ज है। श्री रूपेन्द्र सोनी पुत्र श्री गिरधारी लाल सोनी द्वारा उक्त भवन पर अपना नाम दर्ज कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। साक्ष्य के रूप में रजिस्टर्ड बैनामा आदि संलग्न किया गया है। श्री रूपेन्द्र सोनी पुत्र श्री गिरधारी लाल सोनी प्रार्थना पत्र दिनांक 18.07.2019 के साथ संलग्न अभिलेखों के आधार पर मौहल्ला गोविन्दपुरी म0न0 1/204 का पार्ट (एफ0 19 का पार्ट नया) क0स0 334 पर पालिका गृहकर अभिलेखों में नामांतरण की प्रक्रिया प्रस्तावित की जाती है।

अतः उपरोक्त नामांतरण के सम्बन्ध में इस नोटिस की प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर यदि आपको कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख प्रस्तुत करें। समयावधि पश्चात आपकी किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा तथा एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए गृहकर अभिलेखों में नाम परिवर्तन कर दिया जायेगा।

अधिशोषी अधिकारी

नगर पालिका परिषद मोदीनगर।

प्रतिलिपि:-

1. श्री रूपेन्द्र सोनी पुत्र श्री गिरधारी लाल सोनी निवासी – एस0सी0एच0 65, मैन मार्केट गोविन्दपुरी मोदीनगर।
2. राजस्व निरीक्षक व सम्पत्ति लिपिक को इस निर्देश के साथ प्रेषित की प्रश्नगत सम्पत्ति के सम्बन्ध में अपनी स्पष्ट आख्या 01 सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख प्रस्तुत करें अन्यथा यह समझा जायेगा कि उक्त सम्पत्ति पर कोई वाद-विवाद अथवा सरकारी सम्पत्ति नहीं है। भविष्य में कोई वाद विवाद/सरकारी सम्पत्ति पाये जाने पर समस्त आपकी जिम्मेदारी आपकी होगी।
3. श्री अंकित गौयल को इस आशय के साथ प्रेषित की नगर पालिका परिषद मोदीनगर की वेबसाईट www.nppmodinagar.com पर सूचना को अपलोड करें।

अधिशोषी अधिकारी

नगर पालिका परिषद मोदीनगर।

N.T.P